

मीडिया सेल
कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ -226001

आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में सार्वजनिक व निजी स्थानों से
अब तक कुल 1,06,09,865 प्रचार सामग्री हटायी गयी

अब तक 8,84,583 लाइसेन्सी शस्त्र कराये गये जमा, 1999 लाइसेन्स निरस्त
सीआरपीसी के तहत 32,23,141 लोग पाबन्द

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर अब तक विभिन्न धाराओं
में 1458 एफआईआर दर्ज

अब तक लगभग 79.54 करोड़ रुपये से अधिक का कैश बरामद

अब तक 46.14 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 16,99,740 लीटर मदिरा एवं
38.72 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का 14,075 किग्रा ड्रग्स जब्त

लखनऊ : दिनांक : 16 फरवरी, 2022

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश भर में लागू आदर्श आचार संहिता को सुनिश्चित कराने के लिये सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से अब तक कुल 1,06,09,865 प्रचार सामग्री हटायी गयी है, जिसमें से सार्वजनिक स्थानों से 79,59,398 एवं निजी स्थानों से 26,50,467 प्रचार सामग्री हटायी गयी हैं। उन्होंने बताया कि अब तक सार्वजनिक स्थानों से वाल राइटिंग के 5,40,685 पोस्टर के 34,65,121 बैनर के 26,08,958 तथा 13,44,634 अन्य मामलों में कार्रवाई की गयी है। इसी प्रकार निजी स्थलों से वाल राइटिंग के 2,33,649 पोस्टर के 11,77,717 बैनर के 7,61,570 तथा 4,77,531 अन्य मामलों में कार्रवाई की गयी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, समावेशी एवं कोविड सुरक्षित मतदान कराने के लिए प्रदेश में आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस, आयकर, आबकारी, नारकोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा अब तक 8,84,583 लाइसेन्सी शस्त्र जमा कराये गये, जिसमें से आज 9230 लाइसेन्सी शस्त्र जमा कराये गये। अब तक 629 लाइसेन्स जब्त किए गए तथा 1999 लाइसेन्स निरस्त किये गये। इसी प्रकार सी0आर0पी0सी0 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करते हुये 32,23,141 लोगों को पाबन्द किया गया है। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में अब तक विभिन्न धाराओं में 1458 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है, जिसमें से आज विभिन्न धाराओं में 52 एफआईआर दर्ज की गयी। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा अब तक 9221 शस्त्र, 9592 कारतूस, 229 विस्फोटक एवं 292 बम बरामद किये गये। पुलिस विभाग द्वारा रेड डालकर अवैध शस्त्र बनाने वाली 180 फैक्ट्रियों को सीज किया गया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुलिस विभाग एवं आयकर विभाग की कार्रवाई में अब तक 79.54 करोड़ रुपये से अधिक का कैश बरामद किया गया है। आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 3.24 करोड़ रुपये एवं 5.55 किग्रा सोने के आभूषण तथा 31.76 किग्रा चाँदी के आभूषणों की बरामदगी की जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त आबकारी एवं पुलिस विभाग द्वारा अब तक 46.14 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 16,99,740 लीटर मदिरा जब्त की गयी हैं। इसी प्रकार नारकोटिक्स एवं पुलिस विभाग द्वारा अब तक 38.72 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का 14,075 किग्रा ड्रग्स जब्त किया गया है। साथ ही पुलिस एवं आयकर विभाग द्वारा अब तक लगभग 31.90 करोड़ रुपये मूल्य की 314 किग्रा की बहुमूल्य धातुएं बरामद की गयी। इसके अतिरिक्त लगभग 1.78 करोड़ रुपये मूल्य की अन्य वस्तुएं भी बरामद की गयी हैं।
